रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

सं. 126]

No. 126]

REGD, NO. D. L.-33004/99

# HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

ग्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2008/माघ 10, 1929 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2008/MAGHA 10, 1929

जल संसाधन मंत्रालय

## अधिसूचना

# नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2008

का.आ. 212 (अ).—भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा, उसमें उल्लिखित कतिपय मामलों के सत्यापन और न्यायनिर्णयन के लिए, रावी और ब्यास जल अधिकरण का गठन किया था, और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी, 1987 को केन्द्रीय सरकार को भेज दी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरण को, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए 19 अगस्त, 1987 को और निर्देश किए थे:

और केन्द्रीय सरकार ने, उसकी आगे की रिपोर्ट को पूरा करने में उक्त अधिकरण द्वारा किए जाने वाले वृहत कार्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त रिपोर्ट देने की अवधि को समय-समय पर 5 फरवरी, 2008 तक बढा दिया है:

और केन्द्रीय सरकार, उसमें अंतर्वलित कार्य की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि उक्त अधिकरण द्वारा उल्लेख किया गया है, उक्त अवधि को 5 फरवरी, 2008 के पश्चात् और छह माह के लिए बढाना आवश्यक समझती है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अवधि को, जिसके भीतर अधिकरण इस प्रकार किए गए निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 5 अगस्त, 2008 तक भेज सकेगा, आगे और बढ़ाती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 905(अ), तारीख क्रमगस्त, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् 💝

उक्त अधिसूचना के अंतिम पैरा में, "5 फरवरी, 2008 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "5 अगस्त, 2008 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

> [फा. सं. 15/3/85-आईटी] गौरी चटर्जी, सचिव

टिप्पण : रावी और व्यास जल अधिकरण का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्वर्ती उसमें अधिसूचना संख्यांक का.आ. 666(अ) तारीख 10 जून, 2003 द्वारा संशोधन किया गया; और उस अवधि को जिसके भीतर अधिकरण से अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए अपेक्षा की गई थी, समय-समय पर अधिसूचना का.आ. 905(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003, का.आ. 889(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004, का.आ. 166(अ), तारीख 4 फरवरी, 2005 और का.आ. 1093(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, का.आ. 133(अ) तारीख 3 फरवरी, 2006, का.आ. 1218(अ), तारीख 28 जुलाई, 2006, का.आ. 104(अ), तारीख 2 फरवरी, 2007 और का.आ. 1112(अ), तारीख 6 जुलाई, 2007 द्वारा बढ़ाई गई ।

# MINISTRY OF WATER RESOURCES

## NOTIFICATION

# New Delhi, the 30th January, 2008

S.O. 212(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Water Resources vide its notification number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986 constituted the Ravi and Beas Waters Tribunal for verification and adjudication of certain matters referred therein, and the said Tribunal forwarded its report to the Central Government on 30th January, 1987;

And whereas, further references have been made by the Central Government to the said Tribunal on 19th August, 1987 requiring explanation and guidance on the report aforesaid;

And whereas, considering the enormous exercise undertaken by the said Tribunal in completing its further report, the Central Government extended the period of making the said report, from time to time, till the 5th February, 2008;

And whereas, the Central Government, keeping in view the exigencies of the work involved, as pointed out by the said Tribunal, considers it necessary to extend the said period for another six months after the 5th February, 2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby further extends the period, within which the Tribunal may forward its report on the references so made, to the Central Government till the 5th day of August, 2008, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources number S.O. 905(E), dated the 5th August, 2003, namely:—

In the said notification, in the last paragraph, for the words, figures and letters "till the 5th day of February, 2008", the words, figures and letters "till the 5th day of August, 2008" shall be substituted.

## [F. No.15/3/85-IT]

### GAURI CHATTERJI, Secy.

Note :—The principal notification constituting the Ravi and Beas Water Tribunal was published in the Gazette of India vide number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986 and subsequently amended vide number S.O. 666(E), dated the 10th June, 2003; and the period within which the Tribunal was required to forward its further report to the Central Government was extended from time to time vide number S.O. 905(E), dated the 5th August, 2003, S.O. 889(E), dated the 5th August, 2004; S.O. 166(E), dated the 4th February, 2005; S.O. 1093(E), dated the 4th August, 2005; S.O. 133(E), dated the 3rd February, 2006; S.O. 1218(E), dated the 28th July, 2006; S.O. 104(E), dated the 2nd February, 2007 and S.O. 1112(E), dated the 6th July, 2007.